भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2675
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक निकाय

†2675. **श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एनईपी 2020 के तहत एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक निकाय की स्थापना के लिए कोई समयसीमा निर्धारित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र में क्या कदम उठाए गए हैं, जहां अनेक विश्वविद्यालय और स्वायत्त संस्थान हैं;
(ग) क्या सरकार नए ढांचे के तहत विशेषकर टियर-2 और सांगली जैसे टियर-3 शहरों में शैक्षणिक स्वायत्तता और संस्थागत विविधता सुनिश्चित करने की योजना बना रही है;
(घ) क्या नियामक निकाय महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करेगा और नए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान वित्तपोषण और मान्यता का अनुमोदन करेगा; और
(ङ.) विशेषकर सांगली जैसे उभरते शैक्षिक केंद्रों में संस्थागत विस्तार का समर्थन करते हुए और अधिक छात्रों को आकर्षित करने हेतु मानकों के पारदर्शी और सुसंगत प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र विकसित किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ड.): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020, स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और नए विचारों को प्रोत्साहित करते हुए लेखा परीक्षा और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक 'हल्का लेकिन प्रभावी' नियामक ढांचे की परिकल्पना करती है।

एनईपी, 2020 में इसके अलावा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) को स्वतंत्र व्यवस्थाओं के साथ एक प्रमुख संस्था के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जो विनियमन, प्रत्यायन, वित्त पोषण और शैक्षणिक मानक निर्धारण के अलग-अलग कार्य करेंगे।

एनईपी 2020 के उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय एचईसीआई विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है।

*****